संख्या–1041 / 9–8–2009

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी / नगर आयुक्त,
गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, सीतापुर,
रायबरेली, गोरखपुर एवं सुल्तानपुर।

नगर विकास अनुभाग–

लखनऊः दिनांकः 12 मई, 2009

विषयः **नेशनल ई–गर्वेनेन्स प्लान के अन्तर्गत प्रदेश के छः जनपदों में कियान्वित की जा रही ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने विषयक।**

महोदय,

आप अवगत हैं कि शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के सुनियोजित एवं विस्तृत उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न निर्णय लिये गये हैं तथा इससे निश्चय ही सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे है। उक्त के क्रम में शासनदेश संख्या–851 / 1–4–08–82 बी–4 / 08, दिनांक 17 अप्रैल, 2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के छः जनपदों–गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, सीतापुर, रायबरेली, गोरखपुर एवं सुल्तानपुर में पायलट आधार पर कियान्वित की जा रही ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत कतिपय सेवाओं को इलेक्ट्रानिक माध्यम से जनसामान्य को उपलब्ध कराने पर सहमति प्रदान करते हुए परिषद स्तर से आवश्यकतानुसार विस्तृत गाइड लाइन्स निर्गत करने के निर्देश दिये गये है, जिनमें से नगर विकास विभाग अन्तर्गत ई–डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से निम्न सेवाओं को इलेक्ट्रानिकली उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है :–

(क) जन्म प्रमाण पत्र (मूलप्रति एवं डप्लीकेट प्रति) निर्गत किया जाना।
(ख) मृत्यु प्रमाण पत्र (मूलप्रति एवं डप्लीकेट प्रति) निर्गत किया जाना।

जन्म का पंजीकरण

1– जन्म और मृत्यु पंजीकरण कानून 1969 और मौजूदा लागू सरकार के अनुसार जन्म का पंजीकरण होना चाहिए।

2– पंजीकरण का यह आश्वस्त होना आवश्यक है कि जन्म पंजीकरण में कोई भी नई प्रविष्टि साथ–साथ और तत्काल जन्म पंजीकरण में भी शामिल हो जानी चाहिए।

उक्त प्रमाण पत्रों के निर्गत कराने के लिये निम्न व्यवस्था के म पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

1– आवेदक को अपने निकटतम जनसुविधा केन्द्र/कामन सेंटर/जनसेवा केन्द्र जिसे केन्द्र परिभाषित किया गया है, में जाक के आपरेटर को एक निर्धारित प्रारूप पर (जो आपरेटर के पास रहेगा) उक्त सेवाओं के लिये अनुरोध करना होगा।

2– आवेदक को अपने पहचान से संबधित एवं चिकित्सालय द्वारा जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3– केन्द्र के आपरेटर द्वारा सभी आवश्यक विवरण आवेदन से प्राप्त उपरान्त पंजीयन से संबधित ई–फार्म में भरा जायेगा।

4– आवेदक द्वारा प्रदत्त अभिलेखों को केन्द्र के आपरेटर द्वारा स्कै जायेगा।

5– फार्म में सभी प्रविष्टियों को पूर्ण करने के उपरान्त आवेदक द्वारा को पुष्टि के लिये प्राप्त कराया जायेगा।

6– आवेदक द्वारा फार्म में उल्लिखित सभी प्रविष्टियों को चेक कर उसव की जायेगी तथा फार्म की प्रविष्टियां सही पायी जाने पर आवेदव हस्ताक्षर करेगा या अंगूठे का निशान लगायेगा।

7– तदोपरान्त केन्द्र द्वारा इलेक्ट्रानिक प्रणाली माध्यम से पंजीकर आवश्यकतानुसार सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया जायेगा। नगरी हेतु नगर पालिका/नगर पंचायत के लिये अधिशासी अधिकारी तथ निगम के लिये नगर स्वास्थ्य अधिकारी इस हेतु सक्षम प्राधिकार जिनके माध्यम से प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कराया जायेगा।

8– प्रार्थना पत्रों के साथ संलग्नकों की वैधता/पूर्णता आदि की जांच नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत पर एक जांच अधिव नामित किया जाये, जो कि प्रार्थना पत्रों से संबंधित जांच आख्या करेंगे।

9– आवेदन पत्रों का निस्तारण इलेक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से एक नि
एवं निश्चित समय सारिणी के अन्तर्गत सम्बन्धित
(अधिकारी/कार्यालय) द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा तथा इस समय
में यदि विलम्ब होता है, तो इस्केलेशन मैट्रिक्स के अनुसार व्यवहारित
(यदि एक स्तर पर कार्यवाही लम्बित रहती है तो इसे अगले स्त
अधिकारी को इसकी सूचना इलेक्ट्रानिक माध्यम से स्वतः प्राप्त हो जा
10– प्राप्त/पंजीकृत आवेदन पत्रों के निस्तारण के संबंध में लिय
निर्णय/जारी प्रमाण पत्र भी इलेक्ट्रानिक के माध्यम से डिजिटल ह
की व्यवस्था द्वारा अधिकृत होकर आवेदक को उपलब्ध कराये जायेंगे।
11– इस हेतु दिये गये समय सीमा के उपरान्त आवेदक अपने जन्म/मृत्यु
पत्र निर्धारित केन्द्र से प्राप्त कर सकते है।
12– उपरोक्त प्रक्रिया के द्वारा मात्र प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुए
सरलीकरण किया गया है। प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु शर्ते एवं अन्य
पूर्ववत रहेंगे।
13– उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से किया जायेगा, ताकि
नागरिकों को केन्द्र से जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र समय से प्राप्त हो सके
पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के साथ–साथ सुगम एवं सरल बना
सके।

संलग्नकः जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया

भवदीय,
(आलोक रंजन
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

1– प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– आयुक्त, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर एवं फैजाबाद मण्डल को सूचनार्थ
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3– स्टाफ आफिसर, मा. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0।

आज्ञा से,
(यतीन्द्र मोहन)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या- 1041/9-8-09 दिनांक: 12-5-09 का संलग्नक।

जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने की विस्तृत प्रक्रिया-

1. पंजीकार को ई-जिला अप्लीकेशन को प्रतिदिन लागइन करके यह जांच करनी चाहिए कि कोई लम्बित पड़े हुए अथवा नये जन्म प्रमाण-पत्र के आवेदन-पत्र तो मौजूद नहीं है।
2. पंजीकार को आवेदन-पत्रों और उनके ब्यारों की पड़ताल करवानी चाहिए जिसपर उसका निर्णय आधारित होगा कि क्या उसे आवेदन पत्र अतिरिक्त जानकारी के लिये अथवा गलत जानकारी के कारण स्वीकार कर लेना चाहिए अथवा रद्द कर देना चाहिए।
3. यदि पंजीकार आवेदन-पत्र को रद्द करता है तो ऐसा करने के कारण का उल्लेख करना पड़ेगा और अपने जवाब पर डिजिटली हस्ताक्षर करने होंगे।
4. यदि पंजीकार आवेदन-पत्र को स्वीकार करता है तो उसे ई-जिला आवेदन पत्र का प्रयोग करते हुए जन्म पंजीकरण डाटाबेस से आवेदन कर्ता के ब्योरे की जांच कर लेनी चाहिए।
5. यदि डाटाबेस में उपलब्ध जानकारी आवेदनकर्ता के दावे से मेल खाती है तो पंजीकरण को आवेदनकर्ता की जन्म की तिथि का उल्लेख प्रमाण पत्र में करके आवेदन पत्र की स्वीकृति की ओर कार्यवाही करनी चाहिए और उस पर डिजिटली हस्ताक्षर करने चाहिए। इसके उपरान्त ई-जिला आवेदन पत्र को वापिस प्रस्तुत कर देना चाहिए ताकि जन्म प्रमाण पत्र डाटाबेस में इसे सेव किया जा सके और उसकी एक प्रति आवेदनकर्ता के हवाले कर देनी चाहिए।
6. यदि प्रसंगेचित जानकारी डाटाबेस के उपलब्ध नहीं है तो पंजीकार को जन्म व मृत्यु पंजीकार कानून 1969 के अन्तर्गत जन्म के पंजीकरण और/अथवा जन्म पंजीकरण - डाटाबेस की जानकारी नवीनतम बनाने की प्रक्रिया आरम्भ कर देनी चाहिए।
7. पंजीकार को समय-समय (मासिक) पर नवीनतम करने के लिये डाटाबेस में आवश्यक परिवर्तन करने चाहिए।
8. पंजीकार जानकारी से पूरी से आश्वस्त होने के बाद प्रमाण पत्र पर अपने बेजोड़ डिजिटल हस्ताक्षर करके जन्म प्रमाण पत्र जारी कर देगा।
9. दस्तावेज के इलेक्ट्रानिक शक्ल में रहने पर ही डिजिटल वैध होंगे। आवेदन कर्ता ई-मेल पर और/अथवा एक सी.डी. पर और/अथवा निर्दिष्ट शुल्क चुका कर डिजिटली हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र की छपी हुई प्रति करने के विकल्प का चयन करके प्रमाण पत्र की इलेक्ट्रानिक कापी के लिये प्रार्थना कर सकता है।
10. तसदीक शुदा छपी हुई कापी प्राप्त करने के लिये आवेदनकर्ता को किसी भी केन्द्र पर जाकर आवेदन पत्र के नम्बर की जानकारी देनी होगी।
11. प्राधिकृत संचालन अथवा सार्वजनिक सेवा केन्द्र संचालन को ई-जिला डिजिटली हस्ताक्षरित दस्तावेज की पुनः प्राप्ति करनी होगी।

notice

12. प्राधिकृत संचालक को दोनों से आश्वस्त होना चाहिए कि प्रमाण पत्र पर सक्षम अधिकारी के डिजिटली हस्ताक्षर हो चुके हैं और यह कि प्रमाण-पत्र में किसी प्रमाण की अनियमितता अथवा जालसाजी के संकेत तो नहीं है।
13. प्राधिकृत संचालक को पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद कि इलेक्ट्रानिक प्रति में कोई जालसाजी नहीं की गयी है, डिजिटली हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र का प्रिंट आउट निकालना चाहिए।
14. सोल्ड पत्र व्यक्ति का जिसने कि प्रमाण पत्र देखा है यूजर आई.डी. प्रिंट आउट में मौजूद होगा और प्राधिकृत संचालक प्रिंट आउट पर मोहर लगाकर अपने हस्ताक्षर अंकित करेगा।

<u>जन्म प्रमाण-पत्र की छपी हुई प्रति का प्रामाणिकता को वैध बनाने की प्रक्रिया :</u>

1. ई-जिला आवेदन पत्र इलेक्ट्रानिकली जारी सभी जन्म प्रमाण-पत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में रीड एसेस उपलब्ध करेगा।
2. जो भी हस्ती प्रमाण पत्र की छपी हुई प्रति की जांच चाहती है, उसे ई-जिला आवेदन-पत्र खोलकर प्रमाण पत्र पर छपा यूनीक आई.डी. वहां दर्ज कर देना चाहिए। वेबसाइट पर प्रमाण-पत्र की फोटो और हस्ताक्षर करने वाले का ब्यौरा प्रस्तुत हो जायेगा।

<u>मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया:-</u>

<u>मृत्यु का पंजीकरण :-</u>

3. मृत्यु और मृत्यु पंजीकरण कानून 1969 और मौजूदा लागू सरकारी आदेश के अनुसार मृत्यु का पंजीकरण होना चाहिए।
4. पंजीकरण का यह आश्वस्त होना आवश्यक है कि मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में कोई भी नई प्रविष्टि साथ-साथ और तत्काल मृत्यु पंजीकरण डाटाबेस में भी शामिल हो जानी चाहिए और उस प्रविष्टि पर पंजीकार के डिजिटली हस्ताक्षर भी हो जाने चाहिए।

ख. मृत्यु प्रमाण-पत्र का जारी किया जाना:

1. पंजीकार को ई-जिला अप्लीकेशन को प्रतिदिन लागइन करके यह जांच करनी चाहिए कि कोई लम्बित पड़े हुए अथवा नये जन्म प्रमाण-पत्र के आवेदन-पत्र तो मौजूद नहीं है।
2. पंजीकार को आवेदन-पत्रों और उनके ब्यौरों की पड़ताल करनी चाहिए जिस पर उसका निर्णय आधारित होगा कि क्या उसे आवेदन पत्र अतिरिक्त जानकारी के लिये अथवा गलत जानकारी के कारण स्वीकार कर लेना चाहिए अथवा रद्द कर देना चाहिए।
3. यदि पंजीकार आवेदन-पत्र को रद्द करता है तो ऐसा करने के कारण का उल्लेख करना पड़ेगा और अपने जवाब पर डिजिटली हस्ताक्षर करने होंगे।
4. यदि पंजीकार आवेदन-पत्र को स्वीकार करता है तो उसे ई-जिला आवेदन-पत्र का प्रयोग करते हुए मृत्यु पंजीकरण डाटाबेस से आवेदन कर्ता के ब्यौरे की जांच कर लेनी चाहिए।
5. यदि डाटाबेस में उपलब्ध जानकारी आवेदनकर्ता के दावे से मेल खाती है तो पंजीकार को आवेदन कर्ता की मृत्यु की तिथि का उल्लेख प्रमाण पत्र में

करके आवेदन-पत्र की स्वीकृति की ओर कार्यवाही करनी चाहिए और ... पर डिजिटली हस्ताक्षर करने चाहिए। इसके उपरान्त ई-जिला आवेदन ... को वापिस प्रस्तुत कर देना चाहिए ताकि मृत्यु प्रमाण पत्र डाटाबेस में ... सेव किया जा सके और उसकी एक प्रति आवेदन कर्ता के हवाले कर दे... चाहिए।

6. यदि प्रसंगोचित जानकारी डाटाबेस के उपलब्ध नहीं है तो पंजीकार को ... व मृत्यु पंजीकार कानून 1969 के अन्तर्गत जन्म के पंजीकरण और/अथवा मृत्यु पंजीकरण डाटाबेस की जानकारी नवीनतम बनाने की प्रक्रिया आर... कर देनी चाहिए।

7. पंजीकार को समय-समय (मासिक) पर नवीनतम करने के लिये डाटाबेस ... आवश्यक परिवर्तन करने चाहिए।

8. पंजीकार जानकारी से पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद प्रमाण-पत्र ... अपने बेजोड़ डिजिटल हस्ताक्षर करके मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी कर देगा।

9. दस्तावेज के इलेक्ट्रानिक शक्ल में रहने पर ही डिजिटल हस्ताक्षर वैध होंगे। आवेदन कर्ता ई-मेल पर और / अथवा एक सी.डी. पर और / अथवा निर्दिष्ट शुल्क चुका कर डिजिटली हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र की छपी ... प्रति प्राप्त करने के विकल्प का चयन करके प्रमाण-पत्र की इलेक्ट्रा... कापी के लिये प्रार्थना कर सकता है।

10. तसदीक शुदा छपी हुई कापी प्राप्त करने के लिये आवेदनकर्ता को किसी सार्वजनिक सेवा केन्द्र, तहसील केन्द्र अथवा जिला केन्द्र पर ... आवेदन-पत्र के नम्बर की जानकारी देनी होगी।

11. प्राधिकृत संचालक अथवा सार्वजनिक सेवा केन्द्र संचालन को ई ... आवेदन-पत्र पर लाग इन दू करके आवेदन-पत्र का नम्बर टाइप ... डिजिटली हस्ताक्षरित दस्तावेज की पुनः प्राप्ति करनी होगी।

12. प्राधिकृत संचालक को दोनों से आश्वस्त होना चाहिए कि प्रमाण पत्र ... सक्षम अधिकारी के डिजिटली हस्ताक्षर हो चुके हैं और यह कि प्रमा... में किसी प्रमाण की अनियमितता अथवा जालसाजी के संकेत तो नहीं है।

13. प्राधिकृत संचालक को पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद कि इलेक्ट्रा... प्रति में कोई जालसाजी नहीं की गयी है, डिजिटली हस्ताक्षर युक्त प्रमाण... का प्रिंट आउट निकालना चाहिए।

14. लोग्ड पद व्यक्ति का जिसने कि प्रमाण पत्र देखा है यूजर आई.डी. ... आउट में मौजूद होगा और प्राधिकृत संचालक प्रिंट आउट पर मोहर ल... अपने हस्ताक्षर अंकित करेगा।

<u>मृत्यु प्रमाण-पत्र की छपी हुई प्रति का प्रामाणिकता को वैध बनाने की प्रकिया :</u>

1. ई-जिला आवेदन पत्र इलेक्ट्रनिकली जारी सभी मृत्यु प्रमाण-पत्रों को ... क्षेत्र में रीड एसेस उपलब्ध करेगा।

2. जो भी हस्ती प्रमाण पत्र की छपी हुई प्रति की जांच चाहती है, उसे ... आवेदन-पत्र खोलकर प्रमाण पत्र पर छपा यूनीक आई.डी. वहां ... चाहिए। वेबपाइट पर प्रमाण पत्र की फोटो और हस्ताक्षर करने वाले का ... प्रस्तुत हो जायेगा।